पत्रांक–2/न०वि०/गै०यो०आ०(माडा)–131/15–249

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

*द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक– 07/02/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना व्यय अंतर्गत खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद के वेतन मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से वेतनादि भुगतान हेतु कुल 5,56,52,324/– (पाँच करोड़ छप्पन लाख बावन हजार तीन सौ चौबीस रूपये) मात्र अनुदान राशि की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार बाजार फीस नियमावली, 2010 के नियम 20(क) के अनुसार खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा बाजार शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि को सरकारी कोष में जमा किये जाने के पश्चात् इस राशि का न्यूनतम 50% राज्य सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार को विमुक्त किया जाना है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार ने अपने पत्रांक–बा०फी०शा०–09/2017–44, दिनांक–23.12.17 द्वारा यह सूचित किया कि खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा सरकारी कोष में कुल 37,10,15,490/– (सैंतीस करोड़ दस लाख पंद्रह हजार चार सौ नब्बे रूपये) की राशि जमा करायी जा चुकी है।
3. उपर्युक्त क्रम में राजकोष में प्राधिकार (MADA) द्वारा जमा बाजार फीस की राशि में से प्राधिकार को अनुमान्य न्यूनतम 50% राशि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राधिकार के कर्मियों के लिए वेतनादि मद में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से कुल 5,56,52,324/– (पाँच करोड़ छप्पन लाख बावन हजार तीन सौ चौबीस रूपये) का बजट प्रावधान स्थापना व्यय मद अंतर्गत प्राप्त है।
4. उक्त उपबंध के आलोक में **स्थापना व्यय मद अंतर्गत खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद के वेतन मद से वेतनादि भुगतान हेतु कुल 5,56,52,324/– मात्र अनुदान राशि** की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या–48 के अधीन स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्य श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–लघुशीर्ष–191–नगर निगम को सहायता–उपशीर्ष–01–खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद को अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान–46–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) (विपत्र कोड–48S221703191010646) के अंतर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में तृतीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित राशि 5,56,52,324/– (पाँच करोड़ छप्पन लाख बावन हजार तीन सौ चौबीस रूपये) से की जायेगी।
6. स्वीकृत अनुदान की राशि को खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा अपने पी.एल. खाता में जमा किया जायेगा, जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद होंगे।
7. राशि की निकासी धनबाद कोषागार से वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतर्गत की जायेगी। निकासी एवं व्यय पदाधिकारी व्ययगत राशि की सूचना टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ विभाग एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. विगत वर्ष के पूर्व के वर्ष में आवंटित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति निम्नवत् है:–

प्रक्षेत्र	मद	आवंटित राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद	वेतन मद	37,00,00,000	36,68,18,024

9. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपायुक्त, धनबाद को सक्षम प्राधिकार घोषित किया जाता है, जिनके प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के अधीन प्रस्तुत किया जायेगा।

10. स्वीकृत अनुदान की राशि की निकासी/व्यय वित्त विभागीय परिपत्र सं०–2561/वि०, दि०–17.04. 1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश के आलोक में नियम–संगत तरीके से की जायेगी तथा इस राशि से राज्य गठन के पूर्व का बकाया भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. स्वीकृत अनुदान राशि से खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद के कर्मियों को वेतन राशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि को उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को उपलब्ध करायेंगे।

13. वित्त विभाग के पत्रांक–903 दिनांक–02.03.02 के विभिन्न बिन्दुओं का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निश्चित रूप से शुरू करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन न हो।

14. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच–पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दि०–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः कोषागार पदाधिकारी, धनबाद वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

6.2.18

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2/न०वि०/गै०यो०आ०(माडा)–131/15–249 राँची, दि०–07/02/18

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/उपायुक्त, धनबाद/प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद कोषागार, धनबाद/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ (IT Specialist)/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.18

सरकार के प्रधान सचिव।

Arun_Vinayji_MADA Allotment 17-18_6